



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032026-270804
CG-DL-E-10032026-270804

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1166]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2026/फाल्गुन 18, 1947

No. 1166]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2026/PHALGUNA 18, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2026

का.आ. 1218(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के साम्बा जिले में NH-NE5 के कि.मी. 475.7 से कि.मी. 500.6 (सांबा) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपायुक्त सांबा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के साम्बा जिले में NH-NE5 के कि.मी. 475.7 से कि.मी. 500.6 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: साम्बा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सांबा					
गांव का नाम: रामनगर					
1	288	निजी	एग्रीकल्चर	0.063 (हेक्टेयर)	0.063
2	308	निजी	एग्रीकल्चर	0.063 (हेक्टेयर)	0.063
तालुक का नाम: घगवाल					
गांव का नाम: जतवाल					
3	712	निजी	एग्रीकल्चर	0.0156 (हेक्टेयर)	0.0156
तालुक का नाम: विजयपुर					
गांव का नाम: सुपवाल					
4	239	निजी	एग्रीकल्चर	0.0202 (हेक्टेयर)	0.0202
5	239	निजी	एग्रीकल्चर	0.0101 (हेक्टेयर)	0.0101
6	239	निजी	एग्रीकल्चर	0.0025 (हेक्टेयर)	0.0025
7	239	निजी	एग्रीकल्चर	0.0253 (हेक्टेयर)	0.0253
8	239	निजी	एग्रीकल्चर	0.0094 (हेक्टेयर)	0.0094
9	239	निजी	एग्रीकल्चर	0.0051 (हेक्टेयर)	0.0051
10	239	निजी	एग्रीकल्चर	0.0083 (हेक्टेयर)	0.0083
11	239	निजी	एग्रीकल्चर	0.0061 (हेक्टेयर)	0.0061
12	239	निजी	एग्रीकल्चर	0.0025 (हेक्टेयर)	0.0025
13	239	निजी	एग्रीकल्चर	0.0015 (हेक्टेयर)	0.0015
14	239	निजी	एग्रीकल्चर	0.0051 (हेक्टेयर)	0.0051
15	239	निजी	एग्रीकल्चर	0.0228 (हेक्टेयर)	0.0228
16	239	निजी	एग्रीकल्चर	0.0177 (हेक्टेयर)	0.0177
17	239	निजी	एग्रीकल्चर	0.021 (हेक्टेयर)	0.021
18	242	निजी	एग्रीकल्चर	0.0083 (हेक्टेयर)	0.0083
19	242	निजी	एग्रीकल्चर	0.0025 (हेक्टेयर)	0.0025
20	242	निजी	एग्रीकल्चर	0.0025 (हेक्टेयर)	0.0025
21	242	निजी	एग्रीकल्चर	0.0025 (हेक्टेयर)	0.0025
22	242	निजी	एग्रीकल्चर	0.0025 (हेक्टेयर)	0.0025
23	242	निजी	एग्रीकल्चर	0.0025 (हेक्टेयर)	0.0025
24	242	निजी	एग्रीकल्चर	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
25	242	निजी	एग्रीकल्चर	0.0126 (हेक्टेयर)	0.0126

26	243	निजी	एग्रीकल्चर	0.0835 (हेक्टेयर)	0.0835
27	244	निजी	एग्रीकल्चर	0.0152 (हेक्टेयर)	0.0152
28	244	निजी	एग्रीकल्चर	0.0038 (हेक्टेयर)	0.0038
29	244	निजी	एग्रीकल्चर	0.0068 (हेक्टेयर)	0.0068
30	247	निजी	एग्रीकल्चर	0.0152 (हेक्टेयर)	0.0152
31	247	निजी	एग्रीकल्चर	0.0018 (हेक्टेयर)	0.0018
32	247	निजी	एग्रीकल्चर	0.0051 (हेक्टेयर)	0.0051
33	247	निजी	एग्रीकल्चर	0.0056 (हेक्टेयर)	0.0056
34	247	निजी	एग्रीकल्चर	0.0157 (हेक्टेयर)	0.0157
35	247	निजी	एग्रीकल्चर	0.0339 (हेक्टेयर)	0.0339
36	247	निजी	एग्रीकल्चर	0.0091 (हेक्टेयर)	0.0091
37	247	निजी	एग्रीकल्चर	0.0068 (हेक्टेयर)	0.0068
38	247	निजी	एग्रीकल्चर	0.0139 (हेक्टेयर)	0.0139
39	270	निजी	एग्रीकल्चर	0.0228 (हेक्टेयर)	0.0228
40	270	निजी	एग्रीकल्चर	0.0139 (हेक्टेयर)	0.0139
41	270	निजी	एग्रीकल्चर	0.0035 (हेक्टेयर)	0.0035
42	270	निजी	एग्रीकल्चर	0.0144 (हेक्टेयर)	0.0144
43	270	निजी	एग्रीकल्चर	0.0076 (हेक्टेयर)	0.0076
44	270	निजी	एग्रीकल्चर	0.0068 (हेक्टेयर)	0.0068
45	376	निजी	एग्रीकल्चर	0.0068 (हेक्टेयर)	0.0068
46	376	निजी	एग्रीकल्चर	0.0809 (हेक्टेयर)	0.0809
47	381	निजी	एग्रीकल्चर	0.0405 (हेक्टेयर)	0.0405
48	381	निजी	एग्रीकल्चर	0.0051 (हेक्टेयर)	0.0051
49	381	निजी	एग्रीकल्चर	0.0051 (हेक्टेयर)	0.0051
50	576	निजी	एग्रीकल्चर	0.0784 (हेक्टेयर)	0.0784
51	576	निजी	एग्रीकल्चर	0.0139 (हेक्टेयर)	0.0139
52	576	निजी	एग्रीकल्चर	0.0076 (हेक्टेयर)	0.0076
Total					0.8593

[फा. सं. NHAI/PIU/Jammu/DAKP/001/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2026

S.O. 1218(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-NE5 in the stretch of land from Km. 475.7 to Km. 500.6 (Samba) in the district of SAMBA in the UT of JAMMU & KASHMIR, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Commissioner Samba in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-NE5 in the stretch of land from Km. 475.7 to Km. 500.6 (Samba) in the district of SAMBA in the UT of JAMMU & KASHMIR

State: JAMMU & KASHMIR			District: SAMBA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Samba					
Village: Ramnagar					
1	288	Private	Agriculture	0.063 (Hectare)	0.063
2	308	Private	Agriculture	0.063 (Hectare)	0.063
Taluk: Ghagwal					
Village: Jatwal					
3	712	Private	Agriculture	0.0156 (Hectare)	0.0156
Taluk: Vijaypur					
Village: Supwal					
4	239	Private	Agriculture	0.0202 (Hectare)	0.0202
5	239	Private	Agriculture	0.0101 (Hectare)	0.0101
6	239	Private	Agriculture	0.0025 (Hectare)	0.0025
7	239	Private	Agriculture	0.0253 (Hectare)	0.0253
8	239	Private	Agriculture	0.0094 (Hectare)	0.0094
9	239	Private	Agriculture	0.0051 (Hectare)	0.0051
10	239	Private	Agriculture	0.0083 (Hectare)	0.0083
11	239	Private	Agriculture	0.0061 (Hectare)	0.0061
12	239	Private	Agriculture	0.0025 (Hectare)	0.0025
13	239	Private	Agriculture	0.0015 (Hectare)	0.0015
14	239	Private	Agriculture	0.0051 (Hectare)	0.0051
15	239	Private	Agriculture	0.0228 (Hectare)	0.0228
16	239	Private	Agriculture	0.0177 (Hectare)	0.0177
17	239	Private	Agriculture	0.021 (Hectare)	0.021
18	242	Private	Agriculture	0.0083 (Hectare)	0.0083
19	242	Private	Agriculture	0.0025 (Hectare)	0.0025
20	242	Private	Agriculture	0.0025 (Hectare)	0.0025
21	242	Private	Agriculture	0.0025 (Hectare)	0.0025
22	242	Private	Agriculture	0.0025 (Hectare)	0.0025
23	242	Private	Agriculture	0.0025 (Hectare)	0.0025
24	242	Private	Agriculture	0.003 (Hectare)	0.003
25	242	Private	Agriculture	0.0126 (Hectare)	0.0126

26	243	Private	Agriculture	0.0835 (Hectare)	0.0835
27	244	Private	Agriculture	0.0152 (Hectare)	0.0152
28	244	Private	Agriculture	0.0038 (Hectare)	0.0038
29	244	Private	Agriculture	0.0068 (Hectare)	0.0068
30	247	Private	Agriculture	0.0152 (Hectare)	0.0152
31	247	Private	Agriculture	0.0018 (Hectare)	0.0018
32	247	Private	Agriculture	0.0051 (Hectare)	0.0051
33	247	Private	Agriculture	0.0056 (Hectare)	0.0056
34	247	Private	Agriculture	0.0157 (Hectare)	0.0157
35	247	Private	Agriculture	0.0339 (Hectare)	0.0339
36	247	Private	Agriculture	0.0091 (Hectare)	0.0091
37	247	Private	Agriculture	0.0068 (Hectare)	0.0068
38	247	Private	Agriculture	0.0139 (Hectare)	0.0139
39	270	Private	Agriculture	0.0228 (Hectare)	0.0228
40	270	Private	Agriculture	0.0139 (Hectare)	0.0139
41	270	Private	Agriculture	0.0035 (Hectare)	0.0035
42	270	Private	Agriculture	0.0144 (Hectare)	0.0144
43	270	Private	Agriculture	0.0076 (Hectare)	0.0076
44	270	Private	Agriculture	0.0068 (Hectare)	0.0068
45	376	Private	Agriculture	0.0068 (Hectare)	0.0068
46	376	Private	Agriculture	0.0809 (Hectare)	0.0809
47	381	Private	Agriculture	0.0405 (Hectare)	0.0405
48	381	Private	Agriculture	0.0051 (Hectare)	0.0051
49	381	Private	Agriculture	0.0051 (Hectare)	0.0051
50	576	Private	Agriculture	0.0784 (Hectare)	0.0784
51	576	Private	Agriculture	0.0139 (Hectare)	0.0139
52	576	Private	Agriculture	0.0076 (Hectare)	0.0076
Total					0.8593

[F. No. NHAI/PIU/Jammu/DAKP/001/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director